प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 25 जुलाई, 2022**

विषयः- प्रोग्राम फण्ड में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 499.00 करोड़ (रु0 चार अरब निन्यानबे करोड़ मात्र) एवं मैचिंग राज्यांश रू0 332.67 करोड़ (रू0 तीन अरब बत्तीस करोड़ सड़सठ लाख मात्र), कुल रू0 831.67 करोड़ (रु आठ अरब इकतीस करोड़ सड़सठ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-796/एफ-32/यूपीआरआरडीए/2022-23, दिनांक-01.06.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (बैच-।।, 2016-17) हेतु प्रोग्राम फण्ड में भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त की प्रथम ट्रेंच के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 499.00 करोड़ (रु0 चार अरब निन्यानबे करोड़ मात्र) एवं मैचिंग राज्यांश रू0 332.67 करोड़ (रू0 तीन अरब बत्तीस करोड़ सड़सठ लाख मात्र), कुल रू0 831.67 करोड़ (रु आठ अरब इकतीस करोड़ सड़सठ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (बैच-।।, 2016-17) हेतु प्रोग्राम फण्ड में भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त की प्रथम ट्रेंच के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश 499.00 करोड़ (रु0 चार अरब निन्यानबे करोड़ मात्र) एवं मैचिंग राज्यांश रू0 332.67 करोड़ (रू0 तीन अरब बत्तीस करोड़ सड़सठ लाख मात्र), कुल रू0 831.67 करोड़ (रु आठ अरब इकतीस करोड़ सड़सठ लाख मात्र) की धनराशि को आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ इस बात का ध्यान रखेगे कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रुप से उपलब्ध है। तदोपरांत ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा ।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(6) योजनांतर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व पूर्व में स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग/व्यय में भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.05.2022 में अंकित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(13) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

-3/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय केन्द्रांश धनराशि रू0 499.00 करोड़ (रु0 चार अरब निन्यानबे करोड़ मात्र) तथा मैचिंग राज्यांश धनराशि रू0 332.67 करोड़ (रू0 तीन अरब बत्तीस करोड़ सड़सठ लाख मात्र) क्रमशः वित्तीय वर्ष 2022-23 अनुदान संख्या-13 लेखा शीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-02-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0)-0201-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण-(के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य" एवं ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई0-2-26 /दस-2022-23 दिनांक- 01.07.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-08/2022/पी-238/001-38-9002 099 4 2022 दिनांक 25 जुलाई, 2022

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
6- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य कोशाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।